न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी भावना राघव गूर्जर, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 06/2014 **दायरा दिनांक : 01.01.2014**

उनवान

1— नन्द लाल वल्द राम किशन, जाति माली, निवासी लायफल, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

2— भैरू लाल वल्द राम किशन, जाति माली, निवासी लायफल, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

.... अपीलांट

बनाम

1— कन्हैया लाल पुत्र वल्द राम किशन, जाति माली, निवासी लायफल, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

2— कालू पुत्र वल्द राम किशन, जाति माली, निवासी लायफल, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

3— राजस्थान सरकार जर्ये भूमि धारी तहसीलदार खानपुर

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित — श्री बी एल माहेश्वरी अभिभाषक अपीलांट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 21.10.2019**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, खानपुर के प्रकरण संख्या – 584/दावा/2013 निर्णय व डिक्री दिनांक 24.10.2013 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलांट वादीगण रेस्पोडेंट्स प्रतिवादीगण के सगे भाई हैं, अपीलांट्स ने एक वाद अधीनस्थ न्यायालय में आराजी खसरा नम्बर 78 रकबा 22 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 86 रकबा 8 बीघा 9 बिस्वा वाके ग्राम लायफल, तहसील खानपुर में उनका 1/4, 1/4 हिस्सा सहखातेदार घोषित करने बाबत पेश किया । वादग्रस्त आराजी के साबिक खसरा नम्बर 606 रकबा 23 बीघा 3 बिस्वा तथा खसरा नम्बर 607 रकबा 8 बीघा 15 बिस्वा अपीलांट के पिता श्रीराम किशन ने दिनांक 23.06.64 को जर्ये रजिस्टर्ड बयनामा मांगीलाल वल्द लाखा बंजारा निवासी चलेट तहसील खानपुर से प्रतिवादीगण रेस्पोउेंट कन्हैयालाल आयु 7 साल तथा कालू आयु 5 साल नाबालिगान पिसरान रामकिशन बबिलायत पिता खुद बैनामी खरीद की थी जिसका विक्रय मूल पुश्तैनी आराजियात की आमदनी में से अदा की थी । जिसके बाद रामकिशन ने उसके जीवनकाल में ही उक्त आराजियात के बाबत मौखिक कोटुम्बिक समझौता इस आशय का फरीकेन के बच किया था कि चारों भाई का उक्त आराजियात में 1/4, 1/4, 1/4, 1/4 हिस्सा है एवं मौके पर चारों भाइयों के बीच उक्त आराजियात का विभाजन कर दिया था जिस कारण से पिछले 20 सालों से लगातार काबिज काश्त चले आ रहे हैं । एवं 1/4, 1/4 हिस्से के सहखातेदार टीनेन्ट हैं जिन्हें सहखातेदार टीनेन्ट घोषित किये जाने बाबत वाद पेश किया । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट का वाद खारिज कर दिया जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की गई है । अपील में अपीलांट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री कानून के खिलाफ है तामि पत्रावली पर आयी साक्ष्य के विरूद्ध है जिस कारण निर्णय व डिक्री अपास्त किय जाने योग्य है । रेस्पोडेंट नम्बर 3 की ओर से कोई जवाबदावा पेश नहीं किया गया, न किसी पैरोकार ने

उपस्थित होकर पैरवी ही की इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने गलततौर से पैरोकार सरकार ने बहस की निर्णय में दर्ज किया है एवं कयास के आधार पर वादीगण द्वारा कोई लिखित एवं मौखिक साक्ष्य पेश नहीं करना निर्णय में दर्ज किया है जो कि मनमाना है, परवर्स है, केप्रिसियस है एवं अपास्त होने योग्य है । अधीनस्थ न्यायालय ने कयास के आधार पर स्टाम्प ड्यूटी बचाने के लिये प्रतिवादीगण की सहमति से वाद पेश किया जाना निर्णित कर वाद को चलने योग्य नहीं मानकर खारिज किया है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री 24.10.2013 अपास्त किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद का तनकीवार निस्तारण आवश्यक है । अतः रिमाण्ड किया जाना हम उचित समझते हैं ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.10.2013 अपास्त किया जाती है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण का तनकीवार निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 20.01.2020 को उपस्थित होवे ।

निर्णय आज दिनांक 21.10.2019 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भावना राघव गूर्जर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा